संधारणीय उत्पादक संगठनों (पीओ) के निर्माण के लिए उत्पादक संगठनों का संवर्धन करने वाली संस्था (पीओपीआई) /व्यावसायिक संगठनों/ प्रशिक्षण संस्थानों को ऋण की मंजूरी से वित्तीय सहायता जुड़ी नहीं है.

Financial support not linked to sanction of loan to POPIs / Professional Organizations / Training Establishments for building sustainable POs

(i) विशिष्ट गतिविधियों जिनमें ऋण घटक शामिल न हो जैसे विशेष अध्ययन, हितधारकों की बैठक/ सम्मेलन, गोलमेज़ चर्चा, मौजूदा पीओ के लिए विशिष्ट क्षमता निर्माण, विपणन/ परिचालन क्षमता में सुधार के लिए आईसीटी सहयोगों और संधारणीय पीओ के निर्माण के लिए आवश्यक ऐसे अन्य महत्वपूर्ण सहयोगों हेतु अनुदान सहायता प्रदान करना.

Grant support for specific activities not involving loan component, such as conducting Special Studies, Stakeholders' Meeting/ Conference, Round Table Discussions, building specialized capacities for existing POs, ICT interventions for improving marketing/ operational efficiency and such other critical interventions necessary for building sustainable POs.

(ii) ऋण गारंटी सुविधा/ Credit Guarantee Facility

नाबार्ड की सहायक संस्थाओं द्वारा पीओ को सांपार्श्विक-मुक्त ऋण देने की सुविधा के लिए नाबार्ड द्वारा ऋण गारंटी निधि में योगदान किया गया.

Contribution towards Credit Guarantee Fund by NABARD for facilitating collateral-free lending to POs by the subsidiaries of NABARD.

(iii) कोई अन्य संवर्धनात्मक सहायता/ Any other promotional support

उप प्रबंध निदेशक/ अध्यक्ष के विशिष्ट अनुमोदन के अधीन, कोई अन्य संवर्धनात्मक/ विकासात्मक गतिविधियां जिन्हें किसी उत्पादक संगठन को बेहतर और लाभदायक तरीके से कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु आवश्यक समझा जाता है.

Any other promotional / developmental activity which is felt necessary for enabling a Producer Organization function in a better and profitable manner, subject to specific approval of DMD/Chairman.